पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 कटिहार (संपर्क सड़क)–164/2013– पटना–15, दि0–

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
–: अधिसूचना :–

संख्या– भू–अर्जन,कटिहार – 2386/रा० दिनांक– 27-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा हरखा थाना नं० 06 थाना कटिहार जिला कटिहार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क से हरखा मुसहरी टोला तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम हरखा थाना नं० 06 के भीतर एक भू–खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.13¾ एकड़ (पौने चौदह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 42,43 एवं 44 का अंश और जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 43 एवं 44
पूरब :– मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 161
दक्षिण :– मौजा हरखा थाना नं० 6 का सर्वे खेसरा नं० 42 एवं 43
पश्चिम :– कच्ची सड़क।

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित) अधिनियम 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी एवं उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करता है कि भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकी बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाता है कि उस अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उस भूमि पर लागू नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी कटिहार
अपर समाहर्त्ता कटिहार
समाहर्त्ता कटिहार

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 2386/रा०/भू–अर्जन दिनांक 27-09-13

प्रतिलिपिः– निदेशक,भू–अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू–अर्जन कटिहार को दी जाय।

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रका–शनोपरान्त 5–5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, हसनगंज/मुखिया ग्राम पंचायत राज हसनगंज को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव